



पत्रांक : स0कु0स0 सम्बद्धता / 06 / 085 / (प्रा.अ.नु.) / 2013.

दिनांक 06 जुलाई, 2013

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित एम0ए-न0वी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय,
नसीरपुर मठ,
कोटवा, नारायनपुर,
बलिया।

विषय :-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस संदर्भ में सूचित करना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, वयन समिति की संस्तुति एवं इस संदर्भ में प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पांच वर्ष की संविदा के आधार पर अधोलिखित विवरण के अनुसार नियुक्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ० लाल जी सिंह	श्री कामता सिंह	30.12.1950	एम0ए0. पी0एच0डी0	प्राचार्य
2.	डॉ० पद्मा सिंह	श्री निर्मल कुमार सिंह	25.12.1976	पी0एच0डी0	प्रवक्ता हिन्दी
3.	डॉ० शशिकान्त त्रिपाठी	श्री अम्बिका दत्त त्रिपाठी	08.08.1959	पी0एच0डी0	प्रवक्ता अंग्रेजी
4.	डॉ० ज्योति कुमारी	श्री राम नगीना सिंह	26.01.1982	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गृहविज्ञान
5.	डॉ० विवेक कुमार	प्रो० (डॉ०) लालजी सिंह	01.03.1973	पी0एच0डी0	प्रवक्ता समाजशास्त्र
6.	श्री रतनलाल सिंह	श्री कृपाशंकर सिंह	30.09.1981	एम0फिल0	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
7.	डॉ० विनय कुमार सिंह	स्व० सुवेदार सिंह	01.01.1961	पी0एच0डी0	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास
8.	श्री भगवान दास पाल	श्री शिव वरण पाल	26.10.1981	नेट	प्रवक्ता भूगोल

अतः उपरोक्त को शासनादेश के आलोक में मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ) एवं अन्य अभिलेख कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्रवक्ताओं को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। अध्यापकों के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

06-7-13

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परीक्षा नियंत्रक, एम0ए0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव